# न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

| अपील संख्या | रजि0 नम्बर | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 11 / 20 / 2022 | 2022 / 242 | 23.05.2022 | 12.06.2023 |

1. श्रीमती उगन्ती पुत्री स्व0 रामजीलाल धर्मपत्नि दयाराम जाति अहीर निवासी ग्राम माधोबास पोस्ट बीजवाड़ नरूका तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. रामू
2. भोला पुत्र स्व0 रामजीलाल जाति अहीर
3. बिमला यादव पत्नि हरि जाति अहीर
4. संजय यादव पुत्र हरि जाति अहीर
5. सौरभ यादव पुत्र हरि जाति अहीर निवासी ग्राम लिवारी तहसील अलवर जिला अलवर राज0।
6. सुमन पुत्री हरि पत्नि चरण यादव जाति अहीर
7. पूजा पुत्री हरि पत्नि महेन्द्र यादव जाति अहीर निवासीयान ग्राम नवलपुरा तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।
8. प्रेम पुत्री रामजीलाल पत्नि छज्जू जाति अहीर निवासी बडेर तहसील व जिला अलवर राज0।
9. चांद पुत्री रामजीलाल पत्नि घनश्याम जाति अहीर निवासी ग्राम माधोबास पोस्ट बीजवाड़ नरूका तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।
10. तहसीलदार (भू0अ0) अलवर राज0।

—रेस्पोडेन्ट्स

**अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार अलवर दिनांक 09.06.1989 बाबत इन्तकाल संख्या 526 वाके ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर।**

उपस्थितः—

01. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता —वकील अपीलान्ट
02. श्री राहुल कुमार गुप्ता —वकील रेस्पो0 सं0 01 लगा0 09

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 09.06.1989 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 526 वाके ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल सं0 526 वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर में स्थित है। अपील आदेश दिनांक 09.06.1989 का होने के कारण मियाद बाहर है। जिस हेतु प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम अल्हदा से पेश है। रामजीलाल पिसरान नत्थाराम कौम अहीर

जिला कलक्टर, अलवर

का स्वर्गवास दिनांक 05.03.1985 को हो गया था। जिसका विरासत इंतकाल राजस्व अभियान कैम्प लिवारी में दर्ज कर स्वीकार किया गया। जिसमें अपीलांट का नाम कन्ती पुत्री रामजीलाल दर्ज किया गया है, जबकि अपीलांट का नाम कन्ती जना होकर उगन्ती है। जो आधार कार्ड से बखूबी साबित है। अपीलांट बिना पढी लिखी पर्दानशील महिला है। अपीलांट की माता कौशल्या बेवा रामजीलाल का स्वर्गवास हो चुका है व अपीलांट के भाई हरि का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके वारिसान रैस्पो0 सं0 03 लगा0 07 हैं रैस्पो0 सं0 01 व 02 अपीलांट के भाई तथा रैस्पो0 सं0 8 व 9 बहने है। अपीलांट को आराजी पर ऋण लेने हेतु आवश्यकता हुई तब इस की जानकारी हुई कि अपीलांट का नाम उगन्ती के स्थान पर कन्ती दर्ज हो गया है। तो अपीलांट ने अपने मिलने वाले स दिनांक 18.05.2022 को विरासत इंतका सं0 526 व जमाबन्दी संवत 2044 से 2047 की नकल हेतु आवेदन किया। जो नकल दिनांक 18.05.2022 को तैयार होकर दिनांक 19.05.2022 को प्राप्त हुई। जिससे अन्दर मियाद अवधि अपील पेश है। कैम्प उमरैण में वारिसान की जांच करते समय सही प्रकार जांच नहीं की गयी और अपीलांट का नाम उगन्ती के स्थान पर कन्ती दर्ज कर दिया गया, जबकि अपीलांट का नाम कन्ती ना होकर उगन्ती है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर विवादित इंतकाल सं0 526 में अपीलांट का नाम कन्ती के स्थान पर उगन्ती दर्ज किया जावें।

विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस जवाब में निवेदन किया कि इंतकाल सं0 526 दिनांक 09.06.1989 वाके ग्राम लिवारी में अपीलांट का नाम कन्ती पुत्री रामजीलाल दर्ज किया गया है। जो गलत है। जबकि अपीलांट का नाम कन्ती नहीं होकर उगन्ती है। अपीलांट हम रेस्पो0 01 व 02 की सगी बहन है तथा रैस्पो0 03 की सगी ननद है एवं हम रैस्पो0 4 लगा0 7 की सगी भुआ है व हम रैस्पो0 सं0 8 व 09 सगी बहने है। जिसका नाम कन्ती पुत्री रामजीलाल ना होकर के उगन्ती पुत्री रामजीलाल है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर कन्ती पुत्री रामजीलाल के स्थान पर उगन्ती पुत्री रामजीलाल दर्ज किया जावें। मिन रैस्पो0 01 लगा0 09 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, कानून की मंशा देखी गई। अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद का पेश कर विलम्ब की अवधि को कन्डोन करने का निवेदन किया है अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 18.05.2022 को होना जाहिर किया है। रेस्पो0 द्वारा इस सन्दर्भ में कोई एतराज नहीं उठाया है। अतः प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। रैस्पो0 ने जवाब प्रा0पत्र पेश कर अपील अपीलांट में वर्णित तथ्यों का स्वीकार करते हुए पुनः इंतकाल दर्ज किये जाने को लेकर अनापत्ति जाहिर की है। अपीलांटा द्वारा आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड एवं पहचान पत्र की प्रति

जिला कलक्टर, अलवर

पेश की गयी है। जिसमें अपीलांटा का नाम उगन्ती दर्ज है। उक्त आलोक में अपील अपीलांट स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपील अपीलांट तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांटा के दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड एवं पहचान पत्रादि का भलीभांति अवलोकन कर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(पुखराज सैन)
जिला कलक्टर अलवर
**जिला कलक्टर, अलवर**